पोस्टल बैलेट नोटिस
POSTAL BALLOT NOTICE

भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम
PREFERENTIAL ISSUE OF EQUITY SHARES TO GOI

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

निवेशक सेवाएं विभाग:
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, 7वीं मंजिल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT:
Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय
CONTENTS

	पृष्ठ सं. **Page No.**
सूचना / NOTICE	1
टिप्पणियां / NOTES	4
व्याख्यात्मक विवरण / EXPLANATORY STATEMENT	9

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: मांडवी, बड़ौदा - 390 006
कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
(वेबसाइट: www.bankofbaroda.com)

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के समय-समय पर यथा संशोधित विनियमन 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (वर्तमान में अस्थायी रूप से प्रभावी हों ऐसे किसी सांविधिक परिवर्तन या पुन: अधिनियमन सहित) के नियम 22 के अनुसरण में एतद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात ''ई-वोटिंग'' द्वारा वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट द्वारा विशेष संकल्प पारित करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया जाता है.

तात्विक तथ्यों और उनके कारणों का उल्लेख करने संबंधी प्रस्तावित विशेष संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है.

बैंक ने न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया संचालित करने हेतु मेसर्स एस.एन.अनंत सुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे की सुश्री मालती कुमार (सीओपी सं. - 10890) या उनके न होने की स्थिति में सुश्री अश्विनी वार्तक (सीओपी सं. - 16723) की संवीक्षक के रूप में नियुक्ति की है.

कृपया पोस्टल बैलेट फॉर्म की सूचना पर मुद्रित अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और सभी प्रकार से विधिवत भरे हुए फॉर्म को संलग्न पता लिखित पोस्टेज प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में भिजवाएं ताकि यह दिनांक 08.06.2019 को कार्य दिवस की समाप्ति अर्थात शाम 5.00 बजे तक संवीक्षक के पास निम्नलिखित पते पर पहुंच जाए :

संवीक्षक

द्वारा कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली,
फायनेंसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली
हैदराबाद - 500 032
ई-मेल : raju.sv@karvy.com
फोन नं - 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री)

विशेष संकल्प पर वोटिंग के लिए बैंक ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है. ई-वोटिंग सुविधा का चयन करने के लिए इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट की सूचना के नोट के अंतर्गत ई-वोटिंग उद्देश्य हेतु दिए गए अनुदेशों को पढ़ लें.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051
(website: www.bankofbaroda.com)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Bank of Baroda (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "E-Voting".

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Ms. Malati Kumar (COP no. 10890) or failing her Ms. Ashwini Vartak (COP no. 16723) of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 p.m., on 08.06.2019 at the following address:

The Scrutinizer -

C/o. Karvy Fintech Pvt. Ltd.
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad – 500 032
E-mail: raju.sv@karvy.com
Phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

The Bank is also providing E-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for E-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given thereunder for E-Voting purpose.

पोस्टल बैलेटों की संवीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (''एमडी एवं सीईओ'') या किसी अन्य निदेशक/अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जैसा भी निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया हो. पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर प्रदर्शित की जाएगी. परिणाम बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट http://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे.

कार्यसूची मद सं. 1. : भारत सरकार (प्रवर्तकों) को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना.

इस पर विचार करने और उचित पाये जाने पर निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु :

''**संकल्प किया जाता है कि** बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1998 यथासंशोधित के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई''), भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') और/या कोई अन्य प्राधिकारी, इस संबंध में जैसी भी आवश्यकता हो, के अनुमोदन, सहमति, यदि कोई है, के अधीन और ऐसे अनुमोदन देने के लिए ऐसी सभी शर्तों, नियमों और उनमें संशोधन जैसा उनके द्वारा निर्धारित किया जाए, के अधीन और जिससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना आवश्यक हो और सेबी पूंजी-निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (''आईसीडीआर''). विनियमन, 2018 और सेबी सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (''एलओडीआर'').विनियमन, 2015 के व भारतीय रिज़र्व बैंक और सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमनों के अधीन और स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीयन करार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति के अधीन जो एतद द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद ''निदेशक मंडल'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के विनियमन 164 के अनुरूप नकदी हेतु प्रीमियम सहित अधिमानी आधार पर निर्गम मूल्य निर्धारित कर एतद् द्वारा भारत सरकार (जीओआई) को प्रत्येक ₹ 2/- (रुपए 2 केवल) के अंकित मूल्य के कुल ₹ 5,042 करोड़ (रुपए पांच हजार बयालीस करोड़ मात्र) के ऐसी इक्विटी शेयर संख्या सृजित, ऑफर, जारी और आवंटित करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय V के अंतर्गत विनियमन 161 के अनुरूप निर्गम मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु संबद्ध तारीख 09.05.2019, गुरूवार है.

The Scrutinizer will submit her report to the Chairman of the Bank / Managing Director & Chief Executive Officer ("MD & CEO") or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the Voting by Postal Ballot will be announced by displaying on the Website of the Bank at www.bankofbaroda.com and will be intimated to the Stock Exchanges. The results will also be hosted on the website of the Karvy Fintech Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank at https://evoting.karvy.com.

Agenda item no.1: Issue of shares to Government of India (Promoters) on preferential basis

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI [Issue of Capital & Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018 and SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and regulations prescribed by the RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board") to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each to the Government of India ("GOI") aggregating to ₹ **5,042 Crore (Rupees Five Thousand Forty Two Crore only)** on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018."

RESOLVED FURTHER THAT, the **Relevant Date** in terms of Regulation 161 under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Issue Price is Thursday, **09.05.2019**.

यह भी संकल्प किया जाता है कि लाभांश सहित जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर और नए जारी और निवेशक(कों) द्वारा धारित मौजूदा शेयर सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय V के विनियमन 167 के अंतर्गत निर्धारित लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और नए जारी इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, वहां सूचीबद्ध किए जाएंगे.

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से एतद् द्वारा निदेशक मंडल ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले एवं चीजें करने के लिए जो उन्हें अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित लगे और इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या शंकाओं का निपटान करने और इसके अलावा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले एवं चीजें करने, सभी दस्तावेजों और लिखितों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जो उन्हें अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित, अपेक्षित और आकस्मिक लगे, शेयरधारकों की सहमति या अनुमति के बिना या इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया हो इस रूप में, अंतिम रूप से प्राधिकृत हैं.

यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को उपर्युक्त संकल्प प्रभावी करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या ऐसे अन्य अधिकारी को धारित सभी या कोई भी शक्तियां प्रदान करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**

पी. एस. जयकुमार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25.04.2019

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be issued shall rank *pari-passu* in all respects including dividend with the existing equity shares of the Bank and both the newly issued and the existing shares held by the investor(s) be subject to the lock-in requirements as prescribed under Regulation 167 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations, and the newly issued equity shares be listed on the Stock Exchanges on which the existing equity shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable and expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or such other functionary to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Baroda**

P. S. Jayakumar

Place : Mumbai
Date : 25.04.2019

P S Jayakumar
Managing Director & CEO

टिप्पणियां :

1. प्रस्तावित संकल्प के लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है.

2. जिन शेयरधारकों का ई-मेल पता बैंक/ डिपॉजिटरी में पंजीकृत है, उन्हें पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जब तक सिवाय कि किसी शेयरधारक ने उक्त की भौतिक प्रति के लिए पंजीकरण किया हो. जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें अनुमति प्राप्त माध्यम से भौतिक प्रतियां भेजी जा रही हैं. शेयरधारक यह नोट करें कि पोस्टल बैलेट की सूचना बैंक की वेबसाइट, www.bankofbaroda.com तथा बैंक के कार्वी फिनटेक प्रा. लि., रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध करायी जाएगी.

3. वोट का अधिकार 26.04.2019 (''कट ऑफ़ तारीख'') को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत इक्विटी शेयर के प्रदत्त मूल्य के अनुसार होगा. जिन शेयरधारकों के नाम कट ऑफ़ तारीख को बैंक के शेयरधारक रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी मालिक के रजिस्टर में रिकॉर्ड हैं, केवल उन्हें ही पोस्टल बैलेट या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा. जो व्यक्ति कट ऑफ़ तारीख को शेयरधारक नहीं है वे इस पोस्टल बैलेट के नोटिस को केवल सूचनार्थ ही माने.

4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियमन, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुरूप केन्द्र सरकार के अलावा करसपॉडिंग न्यू बैंक के किसी भी शेयरधारक को उससे शेयर के संबंध में करसपॉडिंग न्यू बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक वोट डालने का अधिकार नहीं होगा. अधिनियम/मों, विनियम/मों, योजना/ओं में किसी भी संशोधन के मामले में तथा ऐसे विनियम/मों जो सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया के किसी भी भाग में परिवर्तन लाते हैं उनके मामले में संशोधन मान्य होंगे.

   शेयरधारक वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई-वोटिंग में से केवल एक ही विकल्प का चयन कर सकता है. किसी शेयरधारक के द्वारा अपना वोट पोस्टल बैलेट फॉर्म और ई-वोटिंग दोनों माध्यम से वोट डालने पर ई-वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा.

5. इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने ई-मेल के माध्यम से पोस्टल

Notes:

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed resolution is annexed hereto.

2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, www.bankofbaroda.com and on the website of Karvy Fintech Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank, https://evoting.karvy.com.

3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on 26.04.2019 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or E-Voting. A person who is not a shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.

4. Pursuant to Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

   The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail.

5. Further, Shareholders, who have received the

बैलेट की सूचना प्राप्त की है तथा जो भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म के माध्यम से वोट डालना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com से पोस्टल बैलेट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, 7वां तल, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 को लिखकर तथा पोस्टल बैलेट फॉर्म को विधिवत भरकर तथा हस्ताक्षर करने के बाद संवीक्षक को इस प्रकार से भेजें कि वह दिनांक 08.06.2019 को शाम 5 बजे से पूर्व प्राप्त हो जाए.

6. यदि संकल्पों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है तो उन्हें दिनांक 08.06.2019 को पारित हुआ समझा जाएगा जो कि विधिवत भरे गए पोस्टल बैलेट फॉर्म की प्राप्ति या ई-वोटिंग की बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख है.

7. शेयरधारक पोस्टल बैलेट पर अपना वोट प्रॉक्सी के माध्यम से नहीं डाल सकता है.

8. पोस्टल बैलेट फॉर्म के माध्यम से वोट डालने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है वे पोस्टल बैलेट फॉर्म पर छपे हुए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उक्त फॉर्म को विधिवत भरने तथा हस्ताक्षर करने के बाद संवीक्षक को अपना पता लिखा प्री-पेड बिज़नेस रिप्लाइ लिफाफे में डाक से भेज दें, ताकि वह संवीक्षक के पास दिनांक 08.06.2019 को 5.00 बजे तक पहुंच सके. डाक-व्यय बैंक द्वारा वहन किया जाएगा. तथापि, पोस्टल बैलेट फॉर्म वाला लिफाफा यदि शेयरधारक/कों के स्वयं के खर्चे पर स्वयं का पता लिखा प्री-पेड बिजनेस रिप्लाइ लिफाफे में कूरियर से या पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से भेजा है या व्यक्तिगत रूप से दिए गए पते पर भेजा है तो उसे स्वीकार किया जाएगा. यदि कोई पोस्टल बैलेट फॉर्म दिनांक 08.06.2019 को शाम 5 बजे के बाद प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक/कों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. इसके अतिरिक्त कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलेट फॉर्म को अवैध माना जाएगा यदि :-

ए. शेयरधारक/कों की सहमति या असहमति को बिना किसी संशय के तय करना संभव न हो; और/या

बी. किसी सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक/कों के वोट के अधिकार को रोकने के लिए बैंक को लिखित रूप में अनुदेश दिए हों.

सी. यह इस तरह से विकृत या कटा फटा हो कि इसे वास्तविक रूप में नहीं पहचाना जा सकता हो; और/या शेयरधारक/कों ने इसके व्यवस्थित संकल्प में कोई संशोधन किया हो या अपना वोट डालते समय कोई शर्त रख दी हो.

Notice of Postal Ballot by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.bankofbaroda.com or by writing to the Company Secretary, Bank of Baroda, Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. on 08.06.2019.

6. The resolutions, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on 08.06.2019 i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.

7. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.

8. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. on 08.06.2019. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. on 08.06.2019, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

a) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/or

b) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or

c) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or

डी. फॉर्म में प्रस्तुत किया गया विवरण अधूरा या गलत हो; और/या

ई. पोस्टल बैलेट फॉर्म पर हस्ताक्षर न किए गए हो या हस्ताक्षर मेल न खाते हों; और/या

एफ़. यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म से अलग हो.

9. यदि कोई शेयरधारक डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म की मांग करता है तो सदस्य बैंक के कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, 7वां तल, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 अथवा इसके रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032 को पत्र भेज सकता है, अथवा उनके ई-मेल आईडी raju.sv@karvy.com पर मेल भेज सकता है अथवा फोन क्रमांक - 040 6716 2222 अथवा टोल फ्री नंबर 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर सूचना दे सकता है. हालांकि विधिवत भरा गया एवं हस्ताक्षरित डुप्लीकेट बैलेट फॉर्म दिनांक 08.06.2019 को शाम 5 बजे तक संवीक्षक को प्राप्त हो जाना चाहिए.

10. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया व प्रणाली निम्नानुसार होगी:

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 एवं कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन) 2014 या उनमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में आपका बैंक अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रहा है, ताकि शेयरधारक पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित संकल्प के आधार पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकें. इस संबंध में शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि : -

ए. बैंक द्वारा कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को ई-वोटिंग प्लेटफार्म के जरिए रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है.

बी. **रिमोट वोटिंग के लिये यह पोर्टल दिनांक 10.05.2019 की सुबह 9 बजे से दिनांक 08.06.2019 को शाम 5 बजे तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) प्रतिदिन खुला रहेगा.**

सी. रिमोर्ट ई-वोटिंग वैकल्पिक है. ऐसे शेयरधारक जिनके पास **भौतिक अथवा डिमेटेरिअलाइज़्ड रूप में बैंक के शेयर हैं, वे कट ऑफ़ तारीख अर्थात 26.04.2019 तक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अपने वोट दे सकते हैं.**

d) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or

e) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or

f) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

9. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a Duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Bank at Company Secretary, Bank of Baroda, Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 or its Registrar and Share Transfer Agent, Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032; E-mail: raju.sv@karvy.com; Phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free). However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on 08.06.2019.

10. The process and manner of remote e-voting shall be as follows:

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the Resolution mentioned in the postal ballot notice. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed Karvy Fintech Pvt. Ltd. **as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) The **Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on 10.05.2019 and will remain open on all the days up to 5.00 p.m. on 08.06.2019** (both days inclusive).

c) Remote e-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e., 26.04.2019**, may cast their vote electronically.

डी. <u>**रिमोर्ट ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश**</u> इस प्रकार हैं : -

I. उक्त कट ऑफ़ तारीख पर वोटिंग के लिए पात्र शेयरधारक दिनांक 10.05.2019 को सुबह 9 बजे से लिंक खुलने के बाद यूआरएल https://evoting.karvy.com का उपयोग करते हुए अपना वोट दे सकते हैं.

II. लॉग-इन क्रेडेंसियल अर्थात् इस नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड को प्रविष्ट करें.

III. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.

IV. आप 'पासवर्ड बदलें" मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यत: अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं., ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे से संबंधित कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो सिस्टम उसे दर्ज करने हेतु संदेश देगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुन: प्राप्त करने हेतु आप अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. <u>**यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**</u>

V. आपको नये क्रेडेंसियल से पुन: लॉग-इन करना होगा.

VI. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवन, अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु कहेगा. वोटिंग पृष्ठ पर शेयरधारक द्वारा विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख (26 अप्रैल, 2019) को धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी. आपके सामने स्क्रीन पर संकल्प के लिए वोट करने हेतु सहमत और असहमत के विकल्प प्रदर्शित होंगे. पुष्टि करने हेतु ''OK'' पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु ''CANCEL'' पर क्लिक करें. <u>**एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प के लिए वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**</u>

d) The <u>**instructions for remote e-voting**</u> are as under:

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: ***https://evoting.karvy.com*** on opening of the same on **10.05.2019** at 9.00 a.m.

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Postal Ballot Form annexed with this Notice.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. <u>**It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**</u>

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., Bank of Baroda. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (26.04.2019) will appear. You will have option to vote for the Resolution by click on ASSENT or DISSENT. Click OK to confirm else CANCEL to modify. <u>**Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution.**</u>

VII. एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.

VIII. पोर्टल 08.06.2019 को शाम 5.00 बजे बंद हो जाएगा और इसके बंद होते ही यह सुविधा डिसेबल हो जाएगी.

IX. बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान के लिए मेसर्स एस. एन. अनंत सुब्रमणियन एंड कंपनी और कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

X. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) को वोट देने हेतु विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड /संकल्प के प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति Scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

XI. किसी भी जानकारी के लिए आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं. अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के उप महाप्रबंधक, श्री एस वी राजू, (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा) से कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 से raju.sv@karvy.com पर ईमेल या फोन नं. 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

viii. The portal will close at 5.00 p.m. on 08.06.2019 and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting in a fair and transparent manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

xi. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@karvy.com at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (''आईसीडीआर'') विनियमन, 2018, (विनियमन) के अनुसरण में भारत सरकार (प्रवर्तकों) को अधिमानी आधार पर शेयरों का निर्गम.

1. **अधिमानी निर्गम का उद्देश्य**

   वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ₹ 5,042 करोड़ की पूंजी प्रदान करने के अपने निर्णय की सूचना दी है. यह पूंजी भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन द्वारा प्रदान की जाएगी.

   राशि ₹ 5,042 करोड़ (रुपये पांच हजार बयालीस करोड़ मात्र) दिनांक 28.03.2019 को बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ('' आरबीआई'') के साथ रखे गए खाते में प्राप्त हो गई है.

   दिनांक 25.04.2019 को निदेशक मंडल ने भारत सरकार को इक्विटी शेयरों को जारी करने का निर्णय लिया है और तदनुसार भारत सरकार से पहले ही प्राप्त ₹ 5,042 करोड़ (रुपये पांच हजार बयालीस करोड़ मात्र) की पूंजी प्रदान करने के पेटे अधिमानी आधार पर प्रत्येक अंकित मूल्य ₹ 2/- (दो रुपए मात्र) के इक्विटी शेयरों की आवश्यक संख्या को सृजित, ऑफर, निर्गम एवं आवंटित करने के लिए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति की है. जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरुरतों के निधीयन हेतु किया जाएगा. पूरा निर्गम बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार (''जीओआई'') द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा.

2. **निर्गम की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या:**

   विशेष संकल्प पोस्टल बैलेट की अंतिम तारीख अर्थात 08.06.2019 को पारित माना जाएगा. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमन 161 (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के अनुसरण में संबंधित तारीख 09.05.2019 है और निर्गम मूल्य की गणना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमन 164 (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के अनुसार की जाएगी. निर्गम मूल्य और भारत सरकार (''जीओआई'') को निर्गम मूल्य और आंवटित शेयरों की संख्या की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को संबंधित तारीख के बाद दी जाएगी.

3. **ऑफर को सब्सक्राइब करने हेतु जारीकर्त्ता के प्रवर्तक, निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रयोजन:**

   चूंकि भारत सरकार (''जीओआई'') की बैंक में शेयरधारिता

EXPLANATORY STATEMENT

Item No.1

Issue of shares to Government of India (Promoters) on preferential basis Pursuant to SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, (the Regulations).

1. **Objects of the Preferential Issue:**

   Ministry of Finance, Government of India vide its notification dated 27.03.2019 has conveyed its decision to infuse capital of ₹ 5,042 crore in Bank of Baroda. The Capital infusion will be by way of preferential allotment of equity shares to Government of India.

   The amount of ₹ 5,042 Crore (Rupees Five Thousand Forty Two Crore only) has been received by the Bank on 28.03.2019 in the account maintained with the Reserve Bank of India ("RBI").

   The Board of Directors have on 25.04.2019 decided to issue equity shares to GOI and accordingly recommended passing the Special Resolution to create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each to the Government of India ("GOI") on preferential basis against capital infusion of ₹ 5,042 Crore (Rupees Five Thousand Forty Two Crore only) already received from the GOI. The capital raised would be utilized to improve the capital adequacy and to fund general business needs of the Bank. The entire issue will be subscribed by the Government of India ("GOI"), the Promoter of the Bank.

2. **Maximum number of specified securities to be issued:**

   The Special Resolution shall be deemed to be passed on the last date of Postal Ballot i.e., 08.06.2019. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is 09.05.2019 and the Issue Price will be calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India ("GOI") shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

3. **Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer:**

   Since, the Government of India ("GOI") shareholding

65.37% है और प्रस्तावित अधिमानी निर्गम भी भारत सरकार के लिए किया जाना है, अतएव भारत सरकार के सिवाय किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का इरादा इस ऑफर को सब्सक्राइब करने का नहीं है.

4. **अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में जारीकर्त्ता का शेयरधारिता पैटर्न**

निर्गम से पहले:

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%) में
1	प्रवर्तक धारिता	223,46,20,826	65.37
2	गैर प्रवर्तक धारिता	118,35,47,244	34.63
	कुल	**341,81,68,070**	**100**

बैंक की उपर्युक्त शेयरधारिता पैटर्न भारत सरकार को प्रस्तावित अधिमानी निर्गम से पहले है, चूंकि भारत सरकार को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर की अपेक्षित संख्या संबंधित तारीख अर्थात 09.05.2019 को इश्यू मूल्य के निर्धारण के बाद ही निश्चित होगी. भारत सरकार को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या तथा शेयरधारिता पैटर्न की सूचना निर्गम मूल्य निर्धारण के बाद स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी.

5. **समय सीमा जिसमें अधिमानी निर्गम पूर्ण हो जाएगा**

विशेष संकल्प के अनुसरण में आवंटन का कार्य विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा बशर्ते कि किसी भी विनियामक प्राधिकारी जैसे कि सेबी या केन्द्र सरकार के आवंटन के लिए कोई अनुमोदन या अनुमति लंबित न हो, 15 (पंद्रह) दिन की अवधि की गणना ऐसे आवेदन के संबंध में आदेश की तारीख या अनुमोदन या अनुमति की तारीख, जैसा भी मामला हो, से की जाएगी.

6. **नैसर्गिक व्यक्तियों की पहचान जिन्हें प्रस्तावित शेयर आवंटित किया जाना है, जो इसके अंतिम लाभार्थी/ स्वामी हैं और जो प्रस्ताविक आवंटितियों पर अंतिम नियंत्रण रखेंगे, उनके द्वारा रखी जानेवाली उत्तरवर्ती अधिमानी निर्गम-पूंजी का प्रतिशत एवं जारीकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो तो अधिमानी निर्गम पर इसका परिणाम:**

बैंक का अंतिम लाभार्थी स्वामी भारत सरकार है, अत: नैसर्गिक व्यक्ति की पहचान नहीं दी जा सकती है. चूंकि संपूर्ण निर्गम बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को किया जाना है इसलिए निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

in the Bank is 65.37% and the proposed preferential issue is also to be made to the GOI, none of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe the offer except the GOI.

4. **Shareholding Pattern of the issuer before and after the preferential issue:**

Before Issue:

Sr. No.	Category	Number of Shares	In Percentage (%)
1	Promoter Holding	223,46,20,826	65.37
2	Non Promoter Holding	118,35,47,244	34.63
	Total	**341,81,68,070**	**100.00**

The aforesaid shareholding pattern of the Bank is before the proposed preferential issue to the Government of India ("GOI") as requisite number of Equity Shares to be allotted to the GOI shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e. 09.05.2019. The number of equity shares to be allotted to GOI and the Post Issue Shareholding Pattern will be informed to the Stock Exchanges after the determination of the Issue Price.

5. **Time frame within which the preferential issue shall be completed:**

The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the special resolution provided that any approval or permission by any Regulatory Authority like SEBI or the Central Government for allotment is not pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

6. **Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:**

The ultimate beneficial owner of the Bank is Government of India and hence identity of natural person cannot be provided.

As the entire issue is to be made to the Government of India ("GOI"), the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control

7. वचन पत्र, कि जारीकर्ता इन विनियमों के प्रावधान के अंतर्गत जहां आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनर्गणना करेगा:

चूंकि संबंधित तारीख के 26 सप्ताह से अधिक अवधि पूर्व से बैंक के इक्विटी शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं इसलिए बैंक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रति इक्विटी शेयर मूल्य की पुन: गणना करे इसलिए आईसीडीआर विनियम 163 में निर्धारित घोषणा को प्रस्तुत करना बैंक के लिए आवश्यक नहीं है.

8. चूंकि सभी शेयर भारत सरकार को जारी किया जाना है इसलिए सेबी (पूंजी-निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) की अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट प्रकटन के अनुसार लागू नहीं है.

9. अंतरणीयता पर लॉक-इन एवं प्रतिबंध:

(i) भारत सरकार को आवंटित इक्विटी शेयर ट्रेडिंग हेतु अनुमोदन करने की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेंगे.

बशर्ते कि जारीकर्ता की कुल पूंजी का 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 (तीन) वर्ष के लिए लॉक-इन न हो.

बशर्ते यह भी कि 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक आवंटित इक्विटी शेयर, विकल्प का प्रयोग करने या अन्यथा जैसी भी स्थिति हो के अनुसरण में, ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 1 (एक) वर्ष के लिए लॉक-इन रहेंगे.

(ii) आवंटितियों की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी आवंटन शेयरधारिता, यदि कोई हो, तो ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक लॉक-इन रहेगी.

10. लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र:

यह प्रमाणित करने के लिए कि यह निर्गम सेबी (पूंजी-निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2018 की अपेक्षा अनुसार जारी किए जा रहे है, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट/ प्रधान कार्यालय, वडोदरा/ कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में, प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के पोस्टल बैलट परिणाम की घोषणा की तारीख तक उपलब्ध रहेगा.

11. अन्य अवश्यकताएं

ए) भारत सरकार (''जीओआई'') द्वारा रखे गए सभी शेयर डीमैटरलाइज्डकृत रूप में रखे गए हैं और बैंक स्टॉक

subsequent to the issue.

7. Undertaking that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so:

Since the Equity Shares of the Bank have been listed on recognized stock exchange for a period of more than 26 weeks prior to the relevant date, the Bank is not required to re-compute the price per equity share and therefore the Bank is not required to submit the undertaking specified under Regulations 163 of the ICDR Regulations.

8. As all the shares are to be issued to Government of India ("GOI") the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable.

9. Lock-in and Restrictions on Transferability:

(i) The Equity Shares allotted to the Government of India ("GOI") shall be locked-in for a period of 3 (three) years from the date of trading approval granted to the Equity Shares.

Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the issuer shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

(ii) The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottees, if any, shall be locked-in from the Relevant Date up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval.

10. Auditor's Certificate:

A Certificate of the Statutory Auditors of the Bank shall be available at the Bank's Website / Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue, for certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

11. Other Requirements

a) All the Shares held by the Government of India

एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन-करार में निर्दिष्ट किए अनुसार इक्विटी शेयरों को निरंतर सूचीबद्ध रखने की शर्तों का अनुपालन करता है.

बी) भारत सरकार ने पूर्ववर्ती संबंधी तारीख से पहले के 6 माह के दौरान हाल ही में सम्पन्न भारत 22 ईटीएफ इश्यू में 1,28,35,716 इक्विटी शेयर बेचे हैं. बैंक भारत सरकार की ओर से वर्तमान निर्गम के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 159 (1) के लागू होने से सेबी से छूट / अनुमति मांगते हुए आवेदन को प्राथमिकता दे रहा है.

सी) बैंक का कोई भी निदेशक इरादतन चूककर्ता के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है.

डी) बैंक का कोई भी निदेशक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है.

सेबी [सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (''एलओडीआर'')] विनियन, 2015 तथा सेबी [पूंजी-निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (''आईसीडीआर'')] विनियम, 2018 के अनुसार पूर्वोक्त एजेंडा के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है.

आपके निदेशक पोस्टल बैलेट के नोटिस की कार्यसूची मद संख्या 1 में यथा प्रतिपादित विशेष संकल्प को संस्तुत करते हैं.

बैंक के किसी भी निदेशक/ महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति, उक्त संकल्प के संबंध में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, तो उसे छोड़कर कोई हित या संबंध नहीं रखते हैं.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25.04.2019

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

("GOI") are in Dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

b) GOI has sold 1,28,35,716 equity shares in the recently concluded Bharat 22 ETF issue during the six months preceding the relevant date. The Bank on behalf of GOI is preferring an application seeking exemption / permission from SEBI from the applicability under Regulation 159(1) of SEBI (ICDR) Regulations to the present Issue.

c) None of the Directors of the Bank have been identified as a wilful defaulter.

d) None of the Directors of the Bank have been declared as a fugitive economic offender.

Pursuant to the SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.

Your Directors recommend the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 1 of the Notice of Postal Ballot.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Baroda**

Place : Mumbai
Date : 25.04.2019

P S Jayakumar
Managing Director & CEO

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda

India’s International Bank